



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड- 249404

संख्या :: 595/04/E-4/डी0आर0(जे0ई0)/2021-22

दिनांक :: 03 जनवरी, 2023

‘उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2021 के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संशोधित अनर्ह सूची (शुद्धि पत्र)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या : 592 / 04 / ई-4 / डी. आर.(जे.ई.) / 2021-22 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के द्वारा ‘उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा-2021’ के सापेक्ष यांत्रिक अभियंत्रण के डिप्लोमा से संबंधित पदों के सापेक्ष 06 अभ्यर्थियों की अनर्हता सूची प्रसारित की गयी है।

2- उक्त पदों के साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के पुनः परीक्षणोपरान्त यह संज्ञान में आया कि उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित अनुक्रमांकों के साथ अनर्हता सूची में अंकित निम्नलिखित अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तानुसार संबंधित विषय में डिप्लोमा धारित करने के कारण साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जाता है :-

| क्र.सं. | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम |
|---------|------------|-----------------|
| 1 | 226421 | VIVEK SINGH |

3- उक्त पदों के साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की पुनर्सन्निरीक्षा से यह संज्ञान में आया कि उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित अनुक्रमांकों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभ्यर्थी, जो कि आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या : 591 / 04 / ई-4 / डी.आर.(जे.ई.) / 2021-22 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रसारित अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम में अन्य अर्ह अभ्यर्थियों के साथ प्रसारित किए गये हैं, भी तालिका में उनके नाम के सम्मुख कारणों से अनर्ह हैं :-

| क्र.सं. | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | अनर्हता का कारण |
|---------|------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 202792 | KAMLESH SINGH BISHT | विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह। |
| 2 | 208870 | ADARSH BHATT | विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह। |
| 3 | 214899 | RAJNI | विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह। |
| 4 | 217092 | NEHA NEGI | विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह। |
| 5 | 227365 | NARENDRA SINGH BISHT | विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह। |

अतः उक्तांकित अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों अपनी अनर्हता के संबंध में पुष्ट साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन दिनांक 12 जनवरी, 2023 (सांय 06:00 बजे) तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस-सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय

में जमा कर सकते हैं। उक्तांकित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

4- विज्ञप्ति संख्या : 591/04/ई-4/डी.आर.(जे.ई.)/2021-22 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रसारित अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम में बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित अनुक्रमांकों को हटाया हुआ माना जाए। आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या : 592/04/ई-4/डी.आर.(जे.ई.)/2021-22 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रसारित अनर्ह सूची एवं विज्ञप्ति संख्या : 591/04/ई-4/डी.आर.(जे.ई.)/2021-22 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रसारित अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

-S/D-
(एस.एल. सेमवाल)
परीक्षा नियंत्रक।